संख्या-2 /2022/245/अड़तीस-7-2022-46नरेगा/2019

संख्या-723/33-3-2022-723/2022

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 **लखनऊः दिनांक 27 अप्रैल, 2022**
पंचायती राज अनुभाग-3

विषयः आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर का विकास।

महोदय,

देश के आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारत सरकार से यह निर्देश प्राप्त हुये हैं कि प्रत्येक जनपद में 75 अमृत सरोवरों का विकास किया जाये। इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक लोकसभा में 75 अमृत सरोवरों के साथ-साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक अमृत सरोवर के विकास का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में अमृत सरोवर यानि कि कुल 6000 अमृत सरोवरों का चिन्हांकन उनके प्रगति की रिपोर्टिंग व डाकूमेन्टेशन आदि भारत सरकार द्वारा निर्धारित एम.आई.एस./पोर्टल पर किया जाएगा। अमृत सरोवरों के विकास का कार्य ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व जिला पंचायतों को केन्द्रीय वित्त आयोग(टाइड/अनटाइड), राज्य वित्त आयोग व मनरेगा योजना में प्राप्त होने वाली धनराशि से कराया जाएगा।

2. प्रत्येक जिला पंचायत अपने जनपद में कम से कम 05 अमृत सरोवरों का निर्माण पूर्ण कराएगी एवं प्रत्येक क्षेत्र पंचायत अपने विकास खण्ड में कम से कम 03 अमृत सरोवरों का विकास मनरेगा/केन्द्रीय वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से करायेंगे। समस्त अमृत सरोवरों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी।

3. अमृत सरोवर में वर्ष पर्यन्त जल की उपलब्धता बनी रहे, इसकी व्यवस्था भी की जाएगी। परन्तु अमृत सरोवर को मुख्यतः वर्षा जल को संचित कर ही भरा जाएगा। अमृत सरोवर के तट पर अथवा आस-पास (मौके की स्थिति के अनुसार) नीम, पीपल, कटहल, जामुन, बरगद, सहजन, पाकड़, महुआ आदि के पौधे लगाये जाएंगे।

प्रत्येक जनपद में अमृत सरोवरों की एक कार्य-योजना बनायी जाएगी, जो विभाग को प्रेषित की जाएगी। कार्य-योजना में साईट के जी.पी.एस. कोआर्डिनेट का वर्णन होगा। अमृत सरोवर वाटर स्टे^{a}स्ड विकास खण्डों में चयनित किए जायेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व वरिष्ठ नागरिकगण अमृत सरोवर के शुरूआत में भूमि पूजन आदि कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमृत सरोवरों के साईट के चयन में भी ऐसे गॉव को वरीयता दी जाएगी जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शहीदों (आजादी के बाद) के गॉव हैं।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. अमृत सरोवर में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी दशा में गांव की नालियों से होता हुआ गन्दा पानी नहीं पहुंचे। अमृत सरोवर में गन्दा जल (सीवेज) न जाये इसके लिए यथा आवश्यक डाइवर्जन नाली आदि का निर्माण किया जाएगा। अमृत सरोवर में वर्षा का जल पूर्ण रूपेण आ सके, इसके लिए समुचित इनलेट की व्यवस्था की जाएगी तथा वर्षा जल वहां तक पहुंच सके इसके लिए आवश्यक चैनलाइजेशन भी किया जाएगा। तालाब में साफ पानी अन्दर जाए, इसके लिए पानी के आगमन (इन्ट्री प्वाइन्ट) पर यथा आवश्यक स्क्रीन एवं सिल्ट चैम्बर की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। जिस सरोवर में क्षमता से अधिक जल आने की सम्भावना हो, वहां जल निकासी की भी समुचित व्यवस्था बनायी जाये।

5. पौधों को लगाने के उपरान्त इनके रख-रखाव, सिंचाई आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। पौधों की सुरक्षा के लिए यथा आवश्यक मौके की स्थिति के अनुसार बाड़ (फेन्सिंग) की व्यवस्था की जाएगी। अमृत सरोवर के निर्माण, विकास व रख-रखाव पर ग्राम वासियों विशेषकर स्वयं सहायता समूह की विशेष सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। अमृत सरोवर के विकास का कार्य 15 अगस्त, 2022 तक पूर्ण किया जाएगा।

6. अमृत सरोवर का न्यूनतम रकबा 1.00 एकड़ होगा और सरोवरों के तटबन्ध पर आवश्यकतानुसार वॉकिंग पथ विकसित किया जाएगा एवं उचित स्थान पर बैंच की भी स्थापना की जाएगी ताकि सुबह शाम सैर करने के लिए ग्रामीण इसका प्रयोग कर सकें। अमृत सरोवरों में आवश्यक लम्बाई में एवं उचित गहराई तक सीढ़ियों का निर्माण भी किया जाएगा।

7. अमृत सरोवरों के तटबन्ध/उचित स्थान पर तिरंगा झण्डा रोहण की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि राष्टीय पर्व के अवसर पर गाँव के लोग झण्डा रोहण कार्यक्रम आयोजित कर सकें।

8. अमृत सरोवर के सौन्दर्यीकरण कार्यों में शासकीय धन का उपयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे गैर शासकीय, नागरिकगण एवं सी0एस0आर0 आदि से कराया जाएगा। अमृत सरोवर के सम्बन्ध में भारत सरकार से निर्गत पत्र संख्या- L-11012/1/Amrit Sarovar/RE-VII-2022 दिनांक 18.04.2022 की प्रति अनुपालनार्थ संलग्न है।

9. ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पोर्टल water.ncog.gov.in/AmritSarovar/login पर प्रत्येक जनपद के लिए यूजर आई.डी. और पासवर्ड, जो प्रारम्भिक रूप से उस जनपद का नाम (अंग्रेजी में) पहला लेटर कैपिटल के साथ तथा शेष लेटर स्मॉल बनाया गया है। प्रत्येक जनपद में लगभग 100 वाटर वाडीज का एड्रेस/विवरण इस पोर्टल पर दिए गए हैं।

10. राजस्व विभाग के पोटर्ल bor.up.nic.in पर जिलों से प्राप्त वाटरबाडी के सम्बन्ध में अपलोड की गई सूचना से प्रत्येक जनपद के लिए 100 ऐसे वाटर बाडीज, जिनका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, उनकी सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रत्येक जनपद में आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में विकसित किये जाने वाले अमृत सरोवर का चयन उपरोक्त पैरा-9 व 10 में उल्लिखित साईट में से ही यथा सम्भव किया जाए। प्रस्तर-9 व संलग्न सूची के अनुसार चयनित अमृत सरोवर के प्रोजेक्ट पर नियमानुसार यथा आवश्यक ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का अनुमोदन भी प्राप्त किया जाएगा। प्रत्येक अमृत सरोवर की जियो टैगिंग की जाएगी।

http://drdsonadesh.up.gov.in

11. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अमृत सरोवर को ग्राम पंचायत के द्वारा एक रमणीक स्थल के रूप में विकसित व अनुरक्षित किया जाएगा। वर्षा ऋतु के पहले अमृत सरोवर के निर्माण का कार्य पूर्ण किया जाना है, अतः तत्काल इस पर कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव
ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग

संख्या-245(1)/अड़तीस-7-2022 तद्दिनांक
संख्या-723 (1)/33-3-2022-723/2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, मा0 पंचायती राज मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, राजस्व, कृषि, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
8. मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0।
9. अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
11. जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तर प्रदेश
12. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

सं०- 245/38-7-2022

PANKAJ KUMAR
SECRETARY,
Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation

NAGENDRA NATH SINHA
SECRETARY,
Department of Rural Development

सत्यमेव जयते

SUNIL KUMAR
SECRETARY,
Ministry of Panchayati Raj

AJAY TIRKEY
SECRETARY,
Department of Land Resources

VINI MAHAJAN
SECRETARY,
Department of Drinking Water & Sanitation

LEENA NANDAN
SECRETARY,
Ministry fo Environment, Forests & Climate Change

DO # L-11012/1/Amrit Sarovar/RE-VII-2022 (e.379839) April 18, 2022

Dear Chief Secretary,

India is celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav, marking 75 years of Independence from British rule this year. In order to commemorate this momentous occasion, it has been decided that at least 75 water bodies may be created or rejuvenated in every district. These may be called Amrit Sarovars.

2. You are already implementing the Jal Shakti Abhiyan: Catch the Rain Campaign. The creation/rejuvenation of the Amrit Sarovars will be a special effort under this programme.The Central Nodal Officers under Jal Shakti Abhiyaan-Catch the Rain campaign will also monitor the progress of Amrit Sarovar works during their field visits.

3. The size of Amrit Sarovars should be befitting the occasion that they commemorate. Following discussion with various stakeholders and field officials, it is suggested that a minimum pondage area of 1 Acre may be planned for. If the district is unable to create as many new Amrit Sarovars, they may take up rejuvenation/desilting of the existing structures for restoring their ecological and productive utility.

(i) In order to optimise the benefit of the Amrit Sarovars and to ensure that the implementation is done in the most credible manner, technology including remote sensing/geospatial will be used extensively from site selection stage till its completion. AMRIT SAROVAR portal developed by Bhaskaracharya Institute of Space Application and Geomatics-National (BISAG-N) will be used to generate list of potential sites, monitor progress and upload media.

contd...

(ii) Such development proposal may include removal of encroachments both within the body as well as in the catchment and drainage, treatment of greywater flowing to it, plantation of tree such as नीम (Azadirachta indica), पीपल (**Ficus religiosa**), बरगद (Ficus benghalensis) etc. Special care be taken to ensure treatment of bund around the structure by ensuring layerwise compaction, including through use of machinery, turfing and appropriate slope thereof. However, public funds should not be used for beautification works. Citizens and non-government bodies may contribute, if they want such work to be taken up.

(iii) A district wise plan of action regarding the Amrit Sarovars may be prepared and shared with the Department of Rural Development as well as with the National Water Mission, Ministry of Jal Shakti. The action plan should include GPS coordinates of the selected sites, as well as the time required to complete the activity. While finalising the sites, District may provide focus on water stressed blocks, especially with reference to Drinking Water.

(iv) Peoples' participation is key to entire initiative as it is meant to evoke collective spirit of the community. Equally important for the Campaign is to remember and recognize the families of freedom fighters and martyrs (of post-independence era). They and those elder citizens who have watched the nation grow would lead their communities in foundation laying, inauguration and flag-hoisting on the eve of Amrit anniversary of Independence along with women, youth, school children and others. The sites of the Sarovars located in the villages of freedom fighters and martyrs would also be prioritised over others.

(v) It will be necessary to also plan for use of the Amrit Sarovars a priori and users association be accordingly created largely drawn from members of the SHGs. They should be

contd....

encouraged to participate in its development through their labour and also observe vigil on scrupulous implementation.

(vi) If feasible Amrit Sarovars sites are located such that they lie partly or fully in the forest areas, the same may be taken up by the forest agencies or consent may be provided to other agency who may be entrusted with the work.

(vii) This exercise may be begun as early as possible so as to complete a substantial number of structures by August 15, 2022. Those States, which may find it difficult to adhere to the above timetable on account of early rains e.g. the states in the North-East, may seek permissionfor following a different timetable within the financial year 2022-2023. In any case, all such structures must be completed by end of Amrit Varsh i.e. 15th August 2023.

(viii) Every Amrit Sarovar worksite will have a common signage (Board) of standard size and logo. A template of the board will be shared by Ministry of Rural Development.

4. Resources for this activity available from MGNREGS, XV Finance Commission Grants (both tied and untied), PMKSY-WDC, PMKSY-HKKP-RRR or similar schemes from the State/ Central Govt. either singly or in combinationmay be accessed for this purpose.

5. Following calendar for development of the Amrit Sarovar is proposed:

(i) **By 23th April 2022**: Identification of the potential site, site examination and stakeholder consultation
(ii) 24th April 2022: Start of Amrit Sarovar Work
(iii) By 15th August2023: Completion of construction

6. Central/State Nodal Officers may assist the Distt. in following the above timetable and provide feedback to Central/State Govts. in this regard for corrective action, if any.

7. District and States should separately document the entire initiative recording various vignettes of development of Amrit Sarovar, unique features of mobilisation of the community, donations provided by the citizens etc.

contd...

8. We look forward to your whole-hearted support in commemorating the Azadi Ka Amrit Mahotsav by creating "**Amrit Sarovars**".

Yours sincerely,

(PANKAJ KUMAR)
SECRETARY (WR,RD&GR)

(NAGENDRA NATH SINHA)
SECRETARY (RURAL DEVELOPMENT)

(SUNIL KUMAR)
SECRETARY (PANCHAYATI RAJ)

(AJAY TIRKEY)
SECRETARY (LAND RESOURCES)

(VINI MAHAJAN)
SECRETARY (DRINKING WATER & SANITATION)

(LEENA NANDAN)
SECRETARY (ENVIRONMENT, FORESTS & CLIMATE CHANGE)

To
Chief Secretaries of all States/UTs